RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-01
January-2018
ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

केन्द्र की राजनीति में गठबंधन सरकार की भूमिका

डा0 मनोरमा कुमारी

राजनीति शास्त्र

भारतीय राजनीति में गठबंधन शब्द अधिक प्रचलित है। गॉठ का बंधन किया जाता है। यह गठनबंधन साथ निभाने का प्रतीक होता है। इस तरह का कोई संस्कार राजनीति में गठबंधन के दौरान तो नहीं होता लेकिन हॉ दो या दो से अधिक मतांतर वाले राजनीतिक दलों और कभी–कभी परस्पर विरोधी विचार वाले दलो के बीच आपसी बातचीत के आधार पर यह तय जरूर कर लिया जाता है कि चुनाव के पूर्व तालमेल करके वे विभिान्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने–अपने प्रत्याशी खड़े करेंगें, ताकि उन क्षेत्रों में उन दलों के प्रत्याशियों में आपसी टकराव न हो। मतो का बटवारा न हो तथा अधिकाधिक संख्या में उनके प्रत्याशी जी कर विधानमंडल के निम्न सदन पहुॅचे और फिर मिलकर ही सरकार बनाए। कई बार चुनाव के बाद में भे राजनीतिक दलों के गठबंधन होते है। इस तालमेल को गठबंधन इसलिए कहा गया है कि यह साथ बना रहे, लेकिन व्यवहार में ऐसा हो नहीं पाता है। न मैं खेलूॅगा और न खेलने दूॅगा–खेल बिगाडूॅगा की नीति पर चलते हुए घटक और नेता जल्द ही एक दुसरे की जड़ खोदने लगते है और गठबंध्न तोड़ डालते है।कई बार तो मलाईदार मंत्रालय बनाने के लिए वे आपस में लड़ पड़ते है और अपनी ही सरकार गिरा देते है।

गठबंधन स्वत: निर्मित नहीं होता है जब दल गठबंधन की अनिवार्यता को समझते है तब ही यह संभव हो पाता है। दलों की राज्य की राजनीतिक स्थिति की जानकारी होती है। उनका प्रयास होता है कि वे राज्य के संविधानिक प्रावधानों के अनुसार सत्ता सुख प्राप्त करें। भारत में गठबंधन राजनीति का आशय छोटे–बड़े दलों का मिल–जुल कर सत्ता हासिल करने का प्रयास करने से है। भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरूआत कांग्रेस पार्टी के विरोध के रूप में सामने आई। गठबंधन की राजनीति में आम चुनावों से पूर्व अथवा किसी भी राज्य के विधानसभाओं के चुनवों से पहले कुछ राजनीतिक दल मिलकर एक निश्चित कार्यक्रम बना लेने और वे उस कार्यक्रम को आधार मान कर चुनाव लड़ते है। चुनावों के दौरान वे आपसी तालमेल स्थापित करते है तथा एक दुसरे दल के विरूद्ध अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते है। यदि इस प्रकार तालमे वाले मिले–जुले दों का चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वे सर्वसम्मति या बहुमत से अपना नेता चुन लेते है।यह निर्वाचित नेता यह प्रयत्न करता है कि उसके मंत्रिमंडल में सभी सहायोगी दलों को उचित प्रतिधत्व मिले। इसी प्रकार आम चुनावों या विधानसभाओं के चुनाव के पश्चात् मिली जूली राजनीति तब शुरू होती है तब संसद या राज्य विधासभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है। [1]

भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है जहॉ कार्यपालिका तथा विधायिका परस्पर संबंध है,। कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका से किया जाता है और कार्यपालिका विघायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी संसदीय व्यवस्था में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायिका के लोकप्रिय सदन लोकसभा/विधानसभा के चुनाव होते रहते है। इन चुनावों में जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है तो त्रिशंकु लोकसभा/विधानसभा की स्थिति बनती है और इसके साथ दलीय नेताओं और रारनैतिक दलों के बीच गठबंधन को जन्म देने की प्रक्रिया आरंभ होती है। जो गठबंधन राज्य के प्रधान को संटुष्ट कर देता है उस गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है अर्थात स्पष्ट बहुमत प्राप्त न कर पाने की स्थिति में त्रिशंकु विधानमण्डल की स्थिति बनती है और दल सत्ता प्राप्ति के लिए अपने निकटतम दलों के साथ गठबंधन कर सरकार का निर्माण करते है।। उस सरकार में थोड़ी सी भी कमी गठबंधन के लिए खतरा साबित हो जाती है और गठबंधन को बनाए रखाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

प्रा. ऑगके शब्दों में मिली–जूली सरकार नाजनीतिक अर्थ में एक सहकारी व्यवसायिकता की ओर संकेत करता है जिसके अन्तर्गत पृथक–पृथक राजनीतिक दल अथवा मंत्रिपरिषद् बनाने के लिए एकजुट हो जाते है। [2]

प्रो0 रघुवीर सिंह के मत से यह सत्ता प्राप्त करने के लिए या नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए विभिन्न राजनीतिक दलों के हित समूहों व गुटों की राजनीतिक गोलबन्दी को प्रस्तुत करता है। [3]

1. चुनावी स्तर पद चुनाव गठबंधन का प्रकटीकरण विभिन्न राजनीतिक दों द्वारा संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने में होता है। इसमें गठबंधन में शामिल दलों की एक संयुक्त सूची होती है तथा वे एक दुसरे के विरूद्ध उम्मीदवार खड़ा नहीं करते है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में गठबंधन में शामिल दलो के पृथक–पृथक उम्मीदवार है तो उन्हे दोस्ताना संघर्ष मानकर अपवाद स्वरूप इसकी अनुमति दे दी जाती है। पर इसका व्यपक चुनवी गठबंधन पर को असर नहीं पड़ता है।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

2. संसदीय स्तर पर संसदीय गठबंधन का प्रयो राजनीतिक दलों द्वारा सरकार के समर्थन या विरोध में किया जाता है। संसदीय गठबंधन जिन राजसनीतिक दलों द्वारा किया जाता है यह जरूरी नहीं है कि उनका चुनावी गठबंधन भी रहा हो।
3. सरकार के स्तर पर गठबंधन में शामिल दलों के मंत्री सरकार में शामिल होते है इसमें स्वाभाविक रूप से संसद में दलीय स्तर पर सरकार के पक्ष में गठबंधन होता है। परन्तु कभी–कभी ऐसी स्थिति बनती है जबकि एक या अनेक दल सरकार में शामिल हुए बिन विशेष मुद्दों पर इसका समर्थन करते है।

संसदीय यह सरकार के स्तर पर गठबंधन के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों दलों में चुनावी स्तर पर गठबंधन रहा हो। कभी–कभी कुछ दल सरकार के स्तर पर गठबंधन कर सत्ता में भागीदारी करते है और संसद में सरकार के पक्ष में एक जुट रहते है। उनमें चुनावी गठबेन नहीं रहता है। निःसदेह चुनावी स्तर पर समझदारी का अभाव संसद व सरकार में उनकी एकजुटता को कमजोर करता है। चुनावी स्तर पर प्रत्येक दल जनता के बीच अपने को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए अधिकतम मत पाना चाहता है, जबकि सरकार में गठबंधन के रूप में विभिन्न दल कार्य करते है वे प्रयास करते है कि सरकार के लोकप्रिय कार्यो की हानि दूसरे को उठानी पड़े।

चुनावी गठबंधन व सरकार के स्तर पर गठबंधन का आधारभूत तंतर यह है कि चुनावी गठबंधन विपक्ष के प्रति नकारात्मक समझौता है जबकि सराकर स्तर पर गठबंधन सरकार चलाने के लिए साझा–न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित सकारात्मक समझौता है।[4]

राजनीतिक दलों को आपस में विभिन्न विचार धाराओं कार्यक्रमों के बावजूद जोड़ने की कला जैसे– सौदेवाजी, खरीद–फरोख्त, सैद्धांतिक सहमति आदि गठबंधन की राजनीति कहलाती है। यह सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार को होता है।

जो गठबंधन द्वारा निर्मित गठबंधन सरकार किसी दल विशेष को बाहर रखने के लिए बनाई जाती है उन्हें नकारात्मक गठबंधन सरकार कहते है। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल आदि राज्यों में गठबंधन द्वारा निर्मित सरकार बनी थी। इन सरकारों में परस्पर विरोधी विचारधारा के दल शामिल थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए बसपा तथा भाजपा ने 1995 व 1997 में गठबंधन सरकार बनाई थी।

सकारात्मक गठबंधन सरकार वे है जिसमें घटक दल नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर सरकार बनाते है वे न्यूनतम साझाा कार्यक्रम के आधार परसरकार चलाते है तथा उन कार्यक्रमों को पूरा करने का प्रयास करते है। पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा की बाममोर्चा सरकारे केरल में यू.डी.एफ. तथाएल.डी.एफ. सरकारें 1998–04 के मध्य सप्रंग सरकार व 2009 के बाद की सप्रंग सरकार इसी श्रेणी में आती है।[5]

गठबंधन की राजनीति में शामिल प्रत्येक प्रतिभागी के कुछ कर्तव्य होते हैं गठबंधन के अस्तित्व को कायम रखने के लिए प्रतिभागियों के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है यदि हितों में टकराव उत्पन्न होता है तो गठबंधन का अस्तित्व समाप्त भी हो सकता है।

भारत में गठबंधन की राजनीति संभावनाएँ एवं समस्योएँ

विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों जहाँ प्रायः बहुदली प्रणाली स्थापित है में`ठबंधन सरकारों का गठन प्रायः सामान्य समझाा जाता है। भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि बहुदलीय व्यवस्था वाले देश इसके बड़े उदाहरण है। जहाँ गठबंधन पर आधारित सरकारों के निर्माण होने की प्रवृति विकसित हो चुकी है। कुछ राज्यों में कुछ उल्लेखनीय दल होते है और वहाँ गठबंधन शायद ही कभी होता है क्योंकि वहाँ चुनाव के पश्चात विजेता दल ही बिना किसी दलीय सहयोग के कार्यकुशल सरकार का निर्माण करने में सक्षम होता हैं जैसे– ब्रिटेन, अमेरिका, जापान आदि। यह सामान्यतःदेखा गया है कि यदि किसी देश में द्विदलीय पद्धति कायम है तो यह दलीय सरकार अस्तित्व में रहेगी, यदि बहुदलीय पद्धति का अस्तित्व है तो गठबंधन सरकार की सभावना बनी रहती है। इसका संबंध निर्वाचन पद्धति से भी होता है यदि किसी देश में निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रयोग की जाती है तो वहाँ बहुदलीय सरकारों की सभावनाएँ बनी रहती है क्योंकि इस प्रणाली में किसी एक दल के लिए व्यवस्थापिका में बहुमत पाना आसान नहीं होता है। इसके विपरीत साधरण बहुमत प्रणाली को प्रयुक्त करने वाले देशों में किसी एक दल के बहुमत पाने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में चुनाव सुधार के मुद्दे से संबंधित विचार–विमर्श अक्सर होता है।

भारत में गठबंधन की राजनीति आज गहरी पैठ स्थापित कर चुकी है। यहाँ आ तक केन्द्र स्तर पर कुल 11 गठबंधित सरकारें गठित हुई हैं इन विभिन्न सरकारों की प्रकृति व रूपरेखा पर ध्यान देने से इनमें कुछ समान विशेषताएँ परिलक्षित होती है।

1. 1977 में गठित जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट जनादेश प्राप्त था। 1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को कुछ सीमा तक जनादेश प्राप्त था। 1999 में गठित राज सरकार को पूर्ण जनादेश प्राप्त था। 2004 और 2009 में गठित संप्रग सरकार को पूर्ण जनादेश प्राप्त था। ये सभी सरकारें जनादेश का नहीं बल्कि रानीतिक परिस्थितियों और रानीतिक विवशताओं का परिणाम रहीं है। इस बात ने सरकारों की वैधता व औचित्यपूर्णता को आघात पहुँचाया है।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

2. अब तक केन्द्र में स्थापित कोई भी संविद सरकार अपने कार्यकरण में सामूहिक उत्तदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं कर पार्ठ हैं इन सरकारों के कार्यकरण को देखकर लगता है कि इन सरकारों के भागीदार दलों को सामूहिक उत्तरदायित्व का आभास नहीं है। इन सरकारों के मुख्य पात्रों का अहंकार भी सामूकिह उत्तरदायित्व के सिद्धांत में बाधक का कार्य किया है।
3. इन गठबंधित सरकारों में सत्ता संघर्ष औश्र सत्ता से संबंधित कुछ प्रमुख अभिकर्त्ताओं के बीच अमर्यादित संघर्ष की स्थिति देखी गई है। इस बात ने न केवल मंत्रिमण्डल और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठाा को बल्कि जनता के बीच समस्त राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा को भी आघातपहुँचानें का कार्य किया है।
4. 1999 की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, 2004 की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन तथा 2009 में गठित व 2012 में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को छोड़कर केन्द्र में स्थापित समस्त गठबंधन सरकारों का कार्यकाल 13 दिन से लेकर 28 माह तक का रहा है। 1999 की राजग सरकार पहली बार केन्द्र में अपने गठबंधन सरकार के कार्यकाल को पूरा कर सकी। 2004 में गठित संप्रग की सरकार भी अनेक अंर्तविरोधों का सामना करते हुए दूसरी बार गठबंधन सरकार का कार्यकालपूरा किया। 2012 में सरकार को देखकर यह प्रती होता रहा कि यह गठबंधन सरकार भी अपने कार्यकाल को पूरा कर सकेगी। परन्तु चिंताजनक बात यह रही कि इन समस्त गठबंधित सरकारों के पदग्रहण के साथ ही यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में स्थायित्व बने रहने का एक मात्र यह कारण है कि लोकसभा सदस्य बहुत जल्दी दुबारा जनता के सामने नहीं जाना चाहते थे। परन्तु यह राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखना आवश्यक है।
5. यह बात सदैव रही है कि एक दल की प्रधानता व केन्द्र में एक दलीय सरकारों ने शक्तियों के केन्द्रीयकरण की प्रवृति को जन्म दिया है तथा गठबंधित सरकारें विकेन्द्रीकरण का पथ प्रशस्त करेगी एवं सहयोगी संघवाद को जन्म देगी। लेकिन व्यवहार में गठबंधित सरकार ने इन स्थितियों को उत्पन्न नहीं किया है बल्कि व्यवहार में केन्द्र सरकार की स्थिति को कमजोर किया है। इसने केन्द्र–राज्य संबंधों और राज्यों के आपसी संबंधों में मतभेद तथातनाव के नए कारणों को जन्म दिया है व विघनकारी तत्वों को प्रोत्साहित किया है।

   भवानी सेन गुप्ता ने इसी से संबंधित विचार किया है कि मिली जुली सरकारों के गठन और जीवन तथा कार्यकरण के लिए जिस प्रतिभा औनर संस्कृति की आवश्कता होती है, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में अभी तक वस्तुतः उसका आभाव रहा है।

<u>भारत में गठबंधन सरकार के कुछ लाभः</u>

1. भारत में गठबंधित कुछ सरकारों की संकल्पना का उदय क्षेत्रीय असमानता तथा सभी राज्यों में लोगों की उम्मीदों को पूरा न कर सकने में असफल राष्ट्रीय दलों के कारण हुआ। गठबंधन सरकार एक दलीय शासन की अपेक्षा क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। यहाँ ऐसा नहीं है किवह सरकार अपनी सीमा से अधिक कार्य करता है लेकिन फिर भी गठबंधित सरकार सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सहायक होता है व जनता के हितों के अनुरूप होता है।
2. गठबंधन सरकार ज्यादा न्ष्पिक्ष व प्रजातांत्रिक होती है क्योंकि यह एक दल की अपेक्षा जनमत को व्यापक स्वरूप प्रदान करता है।
3. गठबंधन सरकार ज्यादा ईमानदार तथा गत्यात्मक राजनीतिक व्यवस्था निर्मित करती है। यह जनता को अधिक स्पष्ट उपलब्ध कराता है। आमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जहाँ गठबंधन की सरकार शायद की बात है, वैसे देशों में मुख्य दल मतों की व्यापकात रखतेहै जिनमें विभिन्न हितों, हित समूहों और विचारधारा का गठबंधन होता है। हलांकि मुख्य दल वैसे देशों में चुनाव के समय मतदाताओं के सम्मुख अपने घोषणापत्र में उन हितों, हित समूहों और विचारधारा को समावेश करते हुए दिखाते हैं लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके आंतरिक विभाजन, कल्पना से परे, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में गहरा प्रभाव डालता है। गठबंधित सरकार वाले देशोंमें राजनीतिक दल बड़ी मात्रा में जनता को विकल्प देते है और खुले रूप में मतभिन्नताओं को प्रस्तुत करते है। यहाँ राजनीतिक दलों का विभाजन भी आसान होता है, नए दल बनते है और नये राजनीतिक मुद्दे मतों को विभाजित कर देते है क्योंकि दये दल को भी सत्ता में भागीदारी का अवसर मिलता है।
4. गठबंधन सरकार जनता को अच्छा शासन देता हैक्योंकि उनका निर्णय लोगों के हितों के अनुकूल जनता के बहुमत पर निर्मित होता है। इसका कारण यह है कि गठबंधन में व्यापक मात्रा में जनता के हित जुड़े होते है। किसी भी नीति को जनता के सम्मुख रखने और लागू करने से पहले सरकार के अंदर विचार विमर्श होता है। एक दलीय सरकार में सामान्यतः निर्णय बुरे तरह से जनता पर थोप दिया जाता है चाहे वह निर्णय संकीर्ण विचारधारा पर ही आधारित क्यों न हो। उदाहरण के लिए इंदिरा गॉधी

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

के शासन काल में आंतरिक सुरक्षा के नाम पर आपालकाल की उदघोषणा का निर्णय।

5. गठबंधन सरकार प्रशासन को निरंतरता प्रदान करते है। वैसे देशों में जहॉ गठबंधन सरकार का चलन नहीं होता है वहॉ दल लंबं समय तक सत्ता में यह विपक्ष में होते है और यह परंपरा बन जाती है।ऐसे में जब भी वहॉ सत्ता परिवर्तित होती है नया प्रशासन पुरानी सरकार की समस्त नीतियों को बदल देता है जोकि लोकहितो को प्रभावित कर सकती है। जिन देओं में गठबंधन सरकारों का प्रचलन होता है वहॉ नए शासन में शामिल कुछ एक सदस्य ऐसे होते है जिन्हे पिछली सरकार में कार्य का अनुभव रहा होता है और वो पिछली सरकार की नीतियों की अनिवार्यता को समझाते हुए एसमें नकारात्मक बदलाव करने पर विरोध व्यक्त कर सकता है।
6. गठबंधन सरकार व्यपक सहमति के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें राज्यों के व्यापक शक्तियॉ प्रदर्शन होता है जिससे संघवाद की संकल्पना मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रों के राज्य जितने मजबूत होते है, केन्द्री की सरकार भी उतनी ही मजबूत होती है।
7. गठबंधन की राजीनति में एक व्यक्ति या दल को दूसरे व्यक्ति या दलों के सिद्धांतों के साथ समझौता करना होता है ताकि व एक दूसर के साथ अपने विचारों का समायोजन स्थापित कर सके। इस प्रक्रिया के परिणामतः दिखता है कि किसी दल या व्यक्ति के व्यक्तिगत सिद्धांत कहीं न रहें।
8. गठबंधन में सरकार व्यापक सहमति के आधार पर निर्मित होती है जिसका परिणाम राष्ट्रहित में नीतियों का निर्माण होता है।
9. इस शासन की नीतियों में गुणवत्ता पाई जाती है क्योंकि गठबंधन में हरेक मुद्दों पर गहराई से विचार होता है।
10. प्रजातांत्रिक वैधता को सुनिश्चित करने में गठबंधन सरकार क्रियाशील होती है। यह राष्ट्रीय एकता व अधिक प्रतिनिधत्व को सुनिश्चित करता है।
11. गठबंधन सरकारों ने राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों के एककीकरण में भूमिका निभाई है। राजनीतिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वामपंथियों और दक्षिणपंथियों का एक साथ मिकर कार्य करना ऐसे स्पष्ट करता है। प्रारंभ में जिन दलों ने गठबंधन में रहकर सरकार बनान के विचार को स्वीकृत कर दिया था आज वही दल काफी निपुणता से परिपक्कता से इस खेल को खेल रहे है।

<u>गठबंधन सरकार की समस्याएँ—</u>

गठबंधन सरकार वास्तविक रूप से कम प्रजातांत्रिक होती है क्यारेकि छोटे दल जो अपने समर्थन द्वारा गठबंधन निर्मित करते है वे अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते है, अर्थात एक ऐसादल जिसे जनता का समर्थन अधिक प्राप्त नहीं है वह अपनी विचारों व निर्णयों का अधिक समर्थन प्राप्त दलों पर थोपने में समक्ष होता है। इस कारण व हमेशा भ्यादोहन की प्रक्रिया को अपनाकर अपने दल के हितों की अभिवृद्धि में लगा रहता है।

गठबंधन सरकारों में पारदर्शिता का आभाव पाया जाता हैं क्योकि किसी एक दल को सरकार निर्माण का वास्तविक मौका नहीं मिल पाता है। अतः राजनीतिक दल द्वारा जिन चुनावी घोषणापत्र को प्रस्तुत किया जाता है वह सरकार निर्माण के बाद अप्रासंगिक व अवास्तविक हो जाती है। ऐसे में राजनीतिक कार्यक्रमों के बारे में वास्तविक निर्णय चुनाव के पश्चात ही हो पाता है एवं यह नीति निर्माण की प्रक्रियो एक गोपनीय कमरे में बैठकर सम्पन्न होती है। जिसमें जनता अलग–धलग पड़ जाती है।

गठबंधन स्वच्छ सरकार का निर्माण करने में अक्षम होता है क्योकि ऐसी सरकारों के पास व्यापक दृष्टिकोण का टाभाव पाया जाता है।शासन व्यवस्था के सफल संचालन हेतु एक वैचारिक दिशासूचक का होना आवश्यक होता है जिसके माध्यम से राजनीति दल राजनीति व आर्थिक कार्यक्रमों की नौक खेपते है।

गठबंधन सरकार अस्थायी होता है जिसमें फूट और सुधार प्रायः होते रहते है। उदाहरण के लिए इटली में 1945 से अबतक प्रत्येक वर्ष एक से अधिक सरकारें बनती है। भारत में सभी गैरकांग्रसी गठबंधन, राजब को छोड़ अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। वाजपेयी की ही पहली सरकार 13 दिनों की थी। इस अस्थायित्व ने सरकार की क्षमताओं को अधिक साबित किया है कि वे मुख्य सुधारों को शायद ही कभी पूर्णतः प्रसतुत कर सके। इसी कारण निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति जनता का विश्वास कमजोर पड़ता जा रहा है और राजनीतिक दलों की भूमिका का विवाद उत्पन्न होते रहे है।

गठबंधन सरकार एक निश्चित विचाराधारा व सिद्धांतों, एक दल की सरकार के तुलना में कम भरोसेमंद, कम कार्यकुशल तथा अल्पायु होती है।

गठबंधन सरकारों में प्रायः सभी दलों के विधायक, सांसदों को विभाग व मंत्रीपद मि होता है। गठबंधन में शामिल विभिन्न दलों में जो दल ज्यादा प्रभावशाली होती है वह विभाग वितरण के दौरान सदस्यों के छवि, योग्याताओं आदि को भी नजरअंदाज करता है क्योंकि सरकार का निर्माण उन्हीं दलों व व्यक्तियों के समर्थन से संभव होता है।

कई बार ऐसा पाया जाता है िकमंत्रियों की संख्या जरूरत से अधिक हुआ करती है। कई बार तो दबाव में यह स्थिति भी उत्पन्न होती है कि किसी को बिना विभाग के

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

मंत्रीपद प्रदान कर दिया जाता है, जो अर्थहीन व अनावश्यक व्यय को बढ़ाता है।

गठबंधन सरकार में जनता से प्राप्त किये गए राजस्व का खुल कर दुरूपयोग होता दिखता है।

यह भी विश्वास किया जाता है कि गठबंधन सरकार देश का उपयुक्त विकास करने में सक्षम नहीं होती है क्योंकि सरकार के पास यह शक्ति नहीं होती है िकवह स्वयं निर्णय ले सके।

निष्कर्ष व सुझाावः

गठबंधन सरकार की सफलता निम्नलिखित प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है–

1. राजनीतिक दलों के चुनावपूर्व गठबंधन के आधार पर सरकार का निर्माण होना चाहिए क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन में वैचारिक समानता का कुछ तत्व भी इसमें अवश्य होता है और साझाा चुनावी प्रचार भागीदार दलों को एक दूसरे में एकता का भाव उत्पन्न करता है इस आधार पर बनी सरकार को जनादेश की शक्ति और वैधाता प्राप्त होगी।
2. गठबंधन सरकार का निर्माण न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर होना चाहिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम समस्त घटक दलों की सहमति से निर्मित होना चाहिए तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए घटक दलों को संसदीय पक्ष के साथ संगठनात्मक पक्ष को भी मिल जुल कर कार्य करना चाहिए। यदि चुनाव पूर्व न्यूनतम साझाा कार्यक्रम के आधार पर गठबंधन बनता है और उस गठबंधन को बहुमत मिलता है तो सरकार को कार्य सरलता से चलता है व शासन में स्थायित्व बने रहने की संभावना रहती है।
3. गठबंधन में शामिल घटक दलों का अपने समर्थन अउउधार को बढ़ाने को प्रयास स्वाभाविक है और इससे पूरी तरह नहीं बचा जा सकता ळै पर वह तत्कालिक व एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इससे घटक दलों में मतभोद पैदा हो सकता है जो सरकार की स्थिरता के लिए हानिकारक है।
4. गठबंधन सरकार का गठन बारी समर्थन द्वारा ीाी होता है। परन्तु ये सरकारें अपने प्रकृति से ही अस्थायी होती है क्योंकि बाहर से समर्थन देने वाला राजनीतिक दल कभी भी समर्थन वापस लेकर सरकार का पतन कर देता है और रानीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न कर देता है। अतः ऐसी प्रवृति को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। जो राजनीतिक दल सरकार को समर्थन देना चाहते है, उन्हें सरकार में शामिल होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, जिससे वे सही अर्थो में सही साझेदार की भूमिका निभा सकें।
5. संवैधानिक पदधारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी सामान्य भूमिका अदा करने से रोका न जाए। सरकार में प्रधान पद गठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल, जिनके सदस्यों की संख्या अधिक हो, को प्रदान की जाए।
6. नीति निर्माण की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। गठबंधन सरकार में आामिल रानीतिक दलों को समन्वय समितियों व अन्य तरीकों से दलों के संगठनात्मक व सरकारी पक्ष में परस्पर विचार विमर्श व सहयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
7. गठबंधन की संस्कृति का विकास गठबंधन में शामिल दलों में होना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उक्त दलों को चाहिए कि वे सरकार को मजबूत करने के लिए, जनता को सुशासन प्रदान करने के लिए आपसी गठजोड़ को मजबूत कर स्वार्थपरकता से परे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वान करें।
8. गठबंधन सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है किशासन के नेतृत्व का भार एक सुयोग, कर्मठ व स्वच्छ छवि वाले व्यक्तित्व को सौपा जाना चाहिए। जिससे वह अपनी क्षमताओं द्वारा घटक दलों के बीच तालमेल बनाए रखेगा और आपसी मतभेद की संभावना नहीं पनपेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

1. नेया जे.पी. राजेश जैन व हरिश्चंद्र शर्मा, भारत में राज्यों की राजनीति कॉलेज बुक डिपो जयपुर व नई दिल्ली 2002, पृ0 217.
2. ऑग एवं जिंक : कोलेशन इन साईक्लोपीडिया ऑफ सोशल साईन्स भाग –2 पृ0 60.
3. करूणाकरण के. पी. कोलिशन गर्वेमेन्ट इन इंडिया– प्राब्लम व प्रोस्पेक्टस 1975 पृ0 47.
4. वर्मा रा बहादुर, मिली जुली सरकारें, सैद्धांतिक संरचना विधायनी, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय की त्रैमासिकशोध पत्रिका, अंक 1 जनवरी से मार्च 2009 पृ0 24, 25.

© RRIJM 2015, All Rights Reserved